प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-24 मार्च, 2022

विषय- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में मुख्य प्राचीर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 5 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37561/नम-4/118/के0का0फतेहगढ़ मु0 प्राचीर, दिनांक-03.12.2021 पत्र संख्या-6165/नम-4/118/के0का0फतेहगढ़ मु0 प्राचीर, दिनांक-28.02.2022 एवं प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-423/22-4-2011-48(45)/10, दिनांक-07.02.2011, शासनादेश संख्या-171/22-4-2013-48(44)/10, दिनांक-20.03.2013 एवं शासनादेश संख्या-432/22-4-2014-48(45)/10, दिनांक-29.03.2014 तथा पुनरीक्षित विषयक शासनादेश संख्या-242/22-4-2016-48(45)/10, दिनांक-31.03.2016 एवं शासनादेश संख्या-69//2016/735/22-4-2016-48(45)/10, दिनांक-03.06.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-07.02.2011 द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में मुख्य प्राचीर का निर्माण हेतु रू0 913.33 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 में धनराशि रू0 182.67 लाख, शासनादेश दिनांक-20.03.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 365.33 लाख, शासनादेश दिनांक-29.03.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 365.33 लाख तथा पुनरीक्षित विषयक शासनादेश दिनांक-31.03.2016 द्वारा रू0 1171.40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश दिनांक-03.06.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 द्वारा रू0 199.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार अब तक कुल धनराशि रू0 1112.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में मुख्य प्राचीर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्नगत निर्माण की मूल पुनरीक्षित विषयक स्वीकृत लागत रू0 1171.40 लाख के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 58.57,000/- (रूपया अठ्ठावन लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-07.02.2011, 20.03.2013, 29.03.2014 तथा पुनरीक्षित विषयक शासनादेश दिनांक-31.03.2016 एवं 03.06.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/2022/218(1)/22-4-2022-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in